	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	**साधिकार प्रकाशित**	***Published by Authority***
	भाद्र 12, गुरूवार, शाके 1942–सितम्बर 3, 2020 *Bhadra 12, Thursday, Saka 1942–September 3, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 03, 2020

संख्या प.4(14)कृषि/ग्रुप-2/2019 :-राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 3 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार वर्तमान कृषि उपज मण्डी समिति, (अनाज) बीकानेर में पंचायत समिति श्रीकोलायत (कृषि उपज मण्डी समिति बज्जू के मण्डी क्षेत्र में अवस्थित 24 ग्रामों-बीकमपुर, बरसलपुर, भूरासर, राववाला, बांगडसर, 6-8 एम., सन्तोषनगर, बज्जू खालसा, माणकासर, मिठाड़िया, भलूरी, रणजीतपुरा, गज्जेवाला, चारणवाला, फूलासर बड़ा, नगरासर, सेवडा, गोकुल, जगासर, गौडू, गोगडियावाला, गडियाला, गिरिराजसर, देवडों की ढ़ाणी एवं बीठनोक को छोडकर) पंचायत समिति श्रीकोलायत का क्षेत्र, के अतिरिक्त बीकानेर-जोधपुर एवं बीकानेर-सूरतगढ रेल्वे लाईन की पश्चिमी दिशा की ओर अवस्थित नगर निगम का समस्त क्षेत्र को पृथक कर एक **नई कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) पूगल रोड, बीकानेर** के नाम से स्थापित करने के आषय की घोषणा करती है।

इस संबंध में प्रत्येक आपत्ति अथवा सुझाव पर जो इस अधिसूचना राजस्थान राज-पत्र में प्रकाषन की तिथि से एक माह की अवधि में राज्य सरकार के पास पहुंचेंगे, राज्य सरकार द्वारा इन आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार विमर्ष किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
लाल चन्द गुर्जर,
उप शासन सचिव।

5638

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।